न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः डॉ0 अरूण गर्ग
(आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 150/2025

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र रूगवीर सिंह
2. चयन सिंह पुत्र बुद्ध सिंह
3. विजय सिंह पुत्र राजूसिंह
4. मंगतू सिंह पुत्र दुर्जन सिंह
5. सुनील बाई स्त्री चयन सिंह
6. महावीर सिंह पुत्र सुमेर सिंह

निवासी केहरपुरा कलां, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नन्दलाल, निवासी केहरपुरा कलां, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।
3. जगदीश पुत्र चन्दगीराम, निवासी केहरपुरा कलां, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.12.2024 बमुकदमा उनवानी सुरेन्द्र सिंह बनाम जगदीश प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 राज0 टीनेन्सी एक्ट मु0नं0 01/2024 बअदालत तहसीलदार, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं

उपस्थितः–

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता–अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र कुमार बजाड, अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र बेरवाल, अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांकः–27.04.2026

प्रस्तुत अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 18.12.2024 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 व प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 व प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 व प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील के सारवान संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं0 2/प्रार्थी की ओर से अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की जमीन खसरा नं0 19 तादादी 1.25 है0 व खसरा नं0 27 तादादी 1.82 है0 कुल किता 2 रकबा 3.07 है0 वाके ग्राम केहरपुरा कलां स्थित है। यह भी प्रकट किया कि प्रार्थी उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खसरा नं0 18 में स्थित रास्ता से अपने खेत में पशुओं, ट्रैक्टर, उंटगाड़ा आदि ले जाता है व आवागमन करता है। प्रार्थी के खेत में खसरा नं0 18 की भूमि में से आने वाले उक्त रास्ता सन् 2023 में बंद कर दिये जाने का उल्लेख करते हुए प्रार्थी ने रास्ते में अपने सुखाधिकारों का हनन किया जाना बतलाते हुए आगे कथन किया कि उक्त अनुसार रास्ता बंद किये जाने से प्रार्थी का अपने खेत खसरा नं0 19 व 27 की भूमि में नहीं आ–जा सकने का भी उल्लेख किया है। खसरा नं0 18 का रेस्पोडेन्ट नं0 3/अप्रार्थी को खातेदार होने का उल्लेख किया है तथा रास्ता के बाबत नजरी नक्शा में ए से बी मार्क से अपने खेत में आने जाने के लिए आम रास्ता से फटकर पगडंडी खसरा नं0 18 से होकर आवागमन करते रहने का उल्लेख किया है। यह भी उल्लेख किया है कि उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने का भी उल्लेख किया है। प्रार्थी की ओर से खसरा नं0 18 से उत्तर से दक्षिण 8 फीट चौड़ाई का रास्ता खुलवाने चाहना बतलाते हुए तथा कथत रास्ता में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाना चाहा है परन्तु यह प्रकट नहीं किया कि उक्त कथित रास्ता खसरा नं0 18 के अलावा अन्य किन–किन खसरा नम्बरान की भूमि में से गुजरता है। न यह प्रकट किया कि

जिला कलक्टर झुंझुनूं

उक्त अनुसार ए से बी रास्ता किन–किन खसरा नम्बरान की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे से गुजरता है। न यह प्रकट किया कि किस व्यक्ति विशेष ने रास्ता को बंद किया। न यह प्रकट किया कि 2023 में जब रास्ता बंद कर दिया गया तो फिर ततकाल सक्षम अधिकारी से इस बाबत रिपोर्ट क्यों नहीं की गई। दिनांक 05.05.2025 को अपीलान्ट्स व अन्य सहखातेदारान अपने अपने खेतों खसरा नम्बरान 13, 14, 15, 16, 540/17 व 541/17 में थे तो अचानक गिरदावर व पटवारी हल्का एक जेसीबी लेकर आये तथा अपीलान्ट् के उक्त कथित खेतों की जमीन में से जेसीबी चला दी। अपीलान्ट ने इसका विरोध किया और किसी सक्षम अधिकारी से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोइ आदेश के बारे में पूछा तो गिरदावर व पटवारी ने किसी प्रकार के आदेश के बारे में कुछ नहीं बताया। अपीलान्ट्स तहसील कार्यालय चिड़ावा में उक्त बारे में मालूम किया तो अपीलान्ट्स दिनांक 07.05.2025 को रेस्पोडेन्ट नं0 1 के द्वारा दिनांक 18.12.2024 को रेस्पोडेन्ट नं0 2 की ओर से रेस्पोडेन्ट्स नं0 3 के खिलाफ प्रस्तुत किए गये प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के बारे में जानकारी मिली अपीलान्ट्स की ओर से तत्काल ही उसी रोज दिनांक 07.05.2025 को समस्त पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकले तैयार क जाकर उसी रोज दिनांक 07.05.2025 को नकले प्राप्त होने पर अधिवक्ता महोदय से परामर्श करने पर अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट् नं0 1 के द्वारा पारित आलौच्य आदेश व अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी हुई अदालत मातहत के आदेश दिनांक 18.12.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील नीचे लिखे उजरात के अनुसार पेश है कि अदालत मातहत का आलौच्य आदेश दिनांक 18.12.2024 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत की पत्रावली में एक फर्द मौका रिपोर्ट द्वारा गिरदावर हल्का सुलताना संलग्न है जो दिनांक 05.07.2024 को तैयार की जाना रिपोर्ट से प्रकट होता है । उक्त रिपोर्ट पर एक नजरी नक्शा भी प्रकट किया गया है जिसमें अपीलान्ट्स व अन्य खातेदारान के खेत खसरा नम्बरान 13, 14, 15, 16, 17 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण डोटेड लाइन से रास्ता बतलाते हुए इसे अवरुद्ध होना बताया है। अपीलान्ट के खेत खसरा नं0 17 के दक्षिण में खसरा नं0 18 की पश्चिमी सीमा के सहारे से रास्ता जैसे प्रकट किया गया है जबकि उक्त मौका रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार मौके पर कभी भी रास्ता मौजूद नहीं रहा व न है। अदालत मातहत ने उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार ही दर्शाए गए मात्र काल्पनिक रास्ता को खुलवाने का आलौच्य आदेश दिया जाना प्रकट होता है। अदालत मातहत की पत्रावली से खसरा नं0 13, 14, 15, 16, 540/17 व 541/17 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि प्राकृतिक कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे नोटिस दिया जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए तथा व्यथित व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी पीठ पीछे यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो कानून से इस प्रकार पारित किया गया आदेश अवैध नल एन्ड वोईड होता है तथा व्यथित व्यक्ति इस प्रकार से दिये गये आदेश से बाउन्ड नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट्स को न अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये गये है तथा न आदेश में अपीलान्ट्स की खातेदारी की जमीन खसरा नं0 13, 14, 15, 16, 17 में किसी रास्ता को खुलवाने का आदेश ही दिया गया है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट् नं0 2 ने खसरा नं0 18 के खातेदार रेस्पोडेन्ट नं0 3 को एक मात्र पक्षकार प्रार्थना पत्र में बनाया गया है जो रेस्पोडेन्ट नं0 2 का कुटुम्ब में भाई है तथा अदालत को मुगालता देकर गलत आदेश पारित करवाये जाने के उद्देश्य से उसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना रेस्पोडेन्ट नं0 3 की ओर से अदालत मातहत की ओर से प्रस्तुत किए जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 के अवलोकन से जाहिर होता है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 के प्रस्तुत किए जाने पर उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट के खसरा नं0 13, 14, 15, 16, व 17 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं0 2 के खेत में आवागमन के लिए रास्ता दर्शाया गया तो अदालत मातहत को उसके समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं0 2 को उक्त खसरा नम्बरान का राजस्व अभिलेख पत्रावली के रिकॉर्ड पर लेकर इन खसरा नम्बरान के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने की हिदायत देते हुए बाद सुनवाई कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए था तथा अदालत मातहत इस प्रकार 1 गंभीर त्रुटि कमलीत करते हुए आलौच्य आदेश विधि विरुद्ध पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं0 2 के खेत में आवागमन के लिए अपीलान्ट्स के खेतों में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है व न है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने रेस्पोडेन्ट न. 1 से मिलकर नाजायज रूप से अपीलान्ट्स के उक्त खेतों में से नया रास्ता कायम करवाने की गर्ज से झूठे तथ्य दर्ज करते हए झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है व अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये हुए ही उनकी पीठ पीछे आलौच्य आदेश पारित करवाकर अपीलान्ट्स के खेत में से जबरदस्ती रास्ता खुलवाना चाहता है जबकि

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रेस्पोडेन्ट नं0 2/प्रार्थी का कभी भी अपीलान्ट्स के खेत में से कोई प्रचलित या अन्य किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रहा। अतः अपीलान्ट्स की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 18.12.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अदालत मातहत का आलौच्य आदेश दिनांक 18.12.2024 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत की पत्रावली में एक फर्द मौका रिपोर्ट द्वारा गिरदावर हल्का सुलताना संलग्न है जो दिनांक 05.07.2024 को तैयार की जाना रिपोर्ट से प्रकट होता है । उक्त रिपोर्ट पर एक नजरी नक्शा भी प्रकट किया गया है जिसमें अपीलान्ट्स व अन्य खातेदारान के खेत खसरा नम्बरान 13, 14, 15, 16, 17 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण डोटेड लाइन से रास्ता बतलाते हुए इसे अवरुद्ध होना बताया है। अपीलान्ट के खेत खसरा नं0 17 के दक्षिण में खसरा नं0 18 की पश्चिमी सीमा के सहारे से रास्ता जैसे प्रकट किया गया है जबकि उक्त मौका रिपोर्ट में दर्शाए अनुसार मौके पर कभी भी रास्ता मौजूद नहीं रहा व न है। अदालत मातहत ने उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार ही दर्शाए गए मात्र काल्पंनिक रास्ता को खुलवाने का आलौच्य आदेश दिया जाना प्रकट होता है। अदालत मातहत की पत्रावली से खसरा नं0 13, 14, 15, 16, 540/17 व 541/17 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि प्राकृतिक कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे नोटिस दिया जाकर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए तथा व्यथित व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी पीठ पीछे यदि कोई आदेश पारित किया जाता है तो कानून से इस प्रकार पारित किया गया आदेश अवैध नल एन्ड वोईड होता है तथा व्यथित व्यक्ति इस प्रकार से दिये गये आदेश से बाउन्ड नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट्स को न अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये गये है तथा न आदेश में अपीलान्ट्स की खातेदारी की जमीन खसरा नं0 13, 14, 15, 16, 17 में किसी रास्ता को खुलवाने का आदेश ही दिया गया है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट् नं0 2 ने खसरा नं0 18 के खातेदार रेस्पोडेन्ट नं0 3 को एक मात्र पक्षकार प्रार्थना पत्र में बनाया गया है जो रेस्पोडेन्ट नं0 2 का कुटुम्ब में भाई है तथा अदालत को मुगालता देकर गलत आदेश पारित करवाये जाने के उद्देश्य से उसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना रेस्पोडेन्ट नं0 3 की ओर से अदालत मातहत की ओर से प्रस्तुत किए जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2024 के अवलोकन से जाहिर होता है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2024 के प्रस्तुत किए जाने पर उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट के खसरा नं0 13, 14, 15, 16, व 17 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं0 2 के खेत में आवागमन के लिए रास्ता दर्शाया गया तो अदालत मातहत को उसके समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं0 2 को उक्त खसरा नम्बरान का राजस्व अभिलेख पत्रावली के रिकॉर्ड पर लेकर इन खसरा नम्बरान के खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने की हिदायत देते हुए बाद सुनवाई कोई आदेश पारित किया जाना चाहिए था तथा अदालत मातहत इस प्रकार 1 गंभीर त्रुटि कमलीत करते हुए आलौच्य आदेश विधि विरुद्ध पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नं0 2 के खेत में आवागमन के लिए अपीलान्ट्स के खेतों में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है व न है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने रेस्पोडेन्ट न. 1 से मिलकर नाजायज रूप से अपीलान्ट्स के उक्त खेतों में से नया रास्ता कायम करवाने की गर्ज से झूठे तथ्य दर्ज करते हए झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है व अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये हुए ही उनकी पीठ पीछे आलौच्य आदेश पारित करवाकर अपीलान्ट्स के खेत में से जबरदस्ती रास्ता खुलवाना चाहता है जबकि रेस्पोडेन्ट नं0 2/प्रार्थी का कभी भी अपीलान्ट्स के खेत में से कोई प्रचलित या अन्य किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रहा। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 18.12.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि मेरी दरख्वास्त अदालत मातहत के समक्ष बन्द रास्ता खोलने की इस्तदुआ की थी। खसरा नम्बर 18 के खातेदारों के अवरूद्ध के कारण रास्ता बन्द कर दिया। भूमि खसरा नम्बर 12 किस्म गैर मुमकीन रास्ता है। इस रास्ते के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित कृषि भूमि जिनके खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16 व 17 की पश्चिमी सीमा के सहारे मौके पर रास्ता चालु है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

खसरा नम्बर 18 के पश्चिमी सीमा के सहारे भी मौके पर रास्ता चालु था जिसको खसरा नम्बर 18 के खातेदार ने मौके पर अवरूद्ध कर दिया जिसको आदेश दिनांक 18.12.2024 के द्वारा खोलने के आदेश दिये गये है। रास्ता खोलों अभियान के तहत हमारी कार्यवाही की गई थी। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट ने अपील निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के तर्को का समर्थन किया तथा अपील खारिज किये जाने का कथन किया।

राजकीय विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि अदालत मातहत ने बाद सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट ने अपील निराधार तथ्यों पर प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्षकारान पर बगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 18.12.2024 का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ग्राम केहरपुरा कलां स्थित वर्तमान भूमि खसरा नं0 18 के अवरुद्ध रास्ते को खुलवाने के आदेश दिए हैं। प्रकरण में निर्विवाद रूप से अपीलान्टस खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16 आदि के खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो आदेश जारी किया है उसमें खसरा नम्बर 13, 14, 15, 16 के संबंध में भी कदीमी रास्ता बताकर खोलने के आदेश दिये है परन्तु इनके रिकार्डड खातेदार को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया है। अपीलान्टस का ये भी कहना है कि खसरा नम्बर 18 में आने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2024 को निरस्त कर पत्रावली इस इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि खसरा नम्बर 18 में वैकल्पिक रास्ता होने के बिन्दु की पूर्ण जांच कर एवं अपीलान्टस को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। रिकॉर्ड मातहत आदेश की प्रति सहित प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं